संख्या 27/11/2012-SRS

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक एवं प्रक्षिशण विभाग)

तृतीय तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली
दिनांक : 25 सितम्बर, 2012

सेवा में,

1. मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश सरकार
लखनऊ

2. मुख्य सचिव
उत्तराखंड सरकार,
देहारादून

विषय: रिट याचिका संख्या 872/2009 - जुगल किशोर भट्ट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 09-05-2011 के अनुपालन ।

महोदय,

ऊपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परामर्शी समिति द्वारा दिनांक 10-07-2012 को आयोजित बेठक में श्री जुगल किशोर भट्ट द्वारा योजित रिट याचिका संख्या 872/2009 में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-05-2011 पर विचार किया गया । ऊपर्युक्त रिट याचिका में माननीय न्यायालय ने दिनांक 09-05-2011 को निम्नलिखित आदेश पारित किए है :-

"The matter is accordingly once again remitted back with the Advisory Committee who will apply the proportionate allotment policy of the Central Government and thereupon reconsider that matter in accordance with such policy of the Central Government. Till then the petitioner shall remain posted at the same place, where he is posted."

इस संबंध में समिति द्वारा स्पष्ट किया गया कि शासनादेश संख्या 915/28-1-2002 दिनांक 15-07-2002 में स्पष्ट व्यवस्था है कि विकल्पधारी तथा मूल निवासी कार्मिको के आवंटन पर बैंचवार/वर्षवार आनुपातिक (pro rata) का आधार लागू नहीं होता है । यह व्यवस्था केवल कनिष्ठता के आधार पर आवंटित होने वाले कार्मिको पर लागू होता है ।

समिति को प्रशासनिक विभाग द्वारा अवगत करवाया गया कि होम गार्ड विभाग के उत्तराखंड राज्य आवंटित ब्लॉक ऑर्गनाइज़र संवर्ग के कुल 13 पदो के सापेक्ष 20 कार्मिकों द्वारा उत्तराखंड राज्य हेतु अपना विकल्प दिया गया था । विकल्पधारी कुल 20 कार्मिको कि वरिष्ठता/ज्येष्ठता के आधार पर प्रथम 13 कार्मिकों को ही उत्तराखंड राज्य आवंटित किया जा सका । श्री जुगल किशोर भट्ट उन 13 कार्मिकों से कनिष्ठ है, इसलिए श्री भट्ट के आवंटन उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं हो सका है । अतः समिति द्वारा उपर्युक्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए श्री जुगल किशोर भट्ट, ब्लॉक ऑर्गनाइज़र के प्रत्यावेदन को निरस्त किए जाने कि

-2-

संस्तुति कि गई ।

भारत सरकार समिति की संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री जुगल किशोर भट्ट, ब्लॉक ऑर्गनाइज़र उत्तर प्रदेश राज्य में ही बने रहेंगे । संबंधित कार्मिक को आवंटन के बारे में अवगत करवा दिया जाए ।

भवदीय,

(सारंगधर नायक)
अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि:-

1. श्री प्रशांत त्रिवेदी, सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, 47, नवीन भवन, सचिवालय, लखनऊ -226001 ।
2. श्री आर0के0 सुधांशु,, अपर सचिव (स्वतंत्र प्रभार), पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून ।